प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद

क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

~~हरी सिंह हाईस्कूल~~

प्रताप विहार खोड़ा कालोनी,

गाजियाबाद.

पत्रांक : मा० शि० प०/मान्यता (मे०)/ 821 9-10 मेरठ : दिनांक 13/8/10

विषय :-सीधे/हाई स्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7-क (क) के अन्तर्गत आपकी संस्था ~~हरी सिंह हाईस्कूल~~ प्रताप विहार, खोड़ा कालोनी, गाजियाबाद को बालक/~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद की हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2012 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वनटाइम) वित्तविहीन मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित दिये जाने का आदेश प्रदान किया है -

<u>सामान्य प्रतिबन्ध</u> :

(1) प्रबन्ध तंत्र कक्षा 9 की कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद को 9वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाये अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिए संस्था उत्तरदायी होगी।

(5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था संस्था द्वारा अपने स्रोतों से की जाय।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे।

(कृ० पृ० उ०)

Principal
H.S. Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony
Ghaziabad

Manager
Hari Singh Senior Secondary Sch...
Pratap Vihar Khora Colony,
Ghaziabad

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) विद्यालय भवन में कक्षा 9-10 के अतिरिक्त यदि अन्य कक्षाएं संचालित की जाती हैं तो वह अमान्य होगी तथा विद्यालय का भाग नहीं होगी।

(ग) विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची शैक्षिक योग्यता सहित प्रत्येक तीन माह में परिषद कार्यालय को भेजना आवश्यक होगा।

टिप्पणी—इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6 (छः) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

पृष्ठांकन सं० : मा० शि० प०/मान्यता (मे०)/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद

2—संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक : मेरठ

3—हाई स्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

4—सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

Principal
H.S. Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony
Ghaziabad

Manager
Hari Singh Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony,
Ghaziabad

पी०एस०यू०पी० (आर०आर०) 151 मा०शि०प० - 18-11-09-10,000 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
हरि सिंह सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल,
प्रताप विहार, खोड़ा कालोनी गाजियाबाद।

पत्रांक: आई०वी० मान्यता/मे०/ 744 दिनांक: 24-07-2014

विषय: इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में ।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा-7 क (क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय हरि सिंह सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, प्रताप विहार, खोड़ा कालोनी गाजियाबाद को बालक विद्यालय के रूप में परिषद की वर्ष- .2016 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा 7क (क) के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया गया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7 क (क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद कार्यालय को 11 वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम-2987 की धारा-7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होंगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नही होगा।

(कृ०प०उ०)

Principal
H.S. Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony
Ghaziabad

Manager
Hari Singh Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony,
Ghaziabad

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण ... जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी ... उत्तर दायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतन्त्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षिक योग्यताओं के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय ... मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) प्रतिभूत (जमानत) की धनराशि रू0 5,000=00 (रू0 5000=00 एवं रूपये 3000=00 प्रति वर्ग/प्रति विषय ... विद्यालय के नाम एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पदनाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजी ...

(घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-25/2006 मंजू अवस्थी ... बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य में विशेष अपील में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 6-11-2012 के विरूद्ध मान0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित की जाने वाली विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर वाणिज्य नवीन वर्ग	हिन्दी, अंग्रेजी, बहीखाता तथा लेखाशास्त्र, व्यापारिक संगठन पत्र व्यावहार एवं बाजार विवरणी अधिकोषण तत्व, गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यकी, अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल।	

टिप्पणी:-उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6 (छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या: आई0वी0 मान्यता/मे0/ दिनांक:

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद।
2 संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ।
3 संभागीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ।
4 इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
5 सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

Principal
H.S. Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony
Ghaziabad

Manager
Hari Singh Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony,
Ghaziabad

कार्यालय–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक मान्यता / 5431-32 / 2025--26 दिनांक 29/7/2025

प्रबन्धक,

हरि सिंह पब्लिक स्कूल,

प्रताप विहार खोडा कालोनी गाजियाबाद।

आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 14–07–2025 द्वारा विद्यालय को स्थाई मान्यता दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक मान्यता/243/2009–10 दिनांक 18–07–2009 द्वारा विद्यालय को कक्षा–01 से कक्षा–05 तक हिन्दी माध्यम की अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी थी।

विद्यालय द्वारा मान्यता आदेश में दी गयी शर्तो को पूरा करने के सम्बन्ध में सम्बंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद की संस्तुति दिनांक 22–07–2025 के आधार पर तथा विद्यालय के विरूद्ध कोई शिकायत न होने के कारण यह मान लिया गया हैं कि विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी हैं। विद्यालय को भविष्य में भी स्थाई मान्यता की शर्तो के मानकों को बनाये रखना होगा। अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(ओम प्रकाश यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पृ0सं0–मान्यता / / 2025--26 तददिनांक

प्रतिनिपि–सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

Principal
H.S. Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony
Ghaziabad

Manager
Hari Singh Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony,
Ghaziabad

कार्यालय–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक मान्यता / 5133-34 / 2025–26 दिनांक 29/7/2025

प्रबन्धक,

हरि सिंह पब्लिक जू0हा0 स्कूल,

प्रताप विहार खोडा कालोनी गाजियाबाद।

आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 14–07–2025 द्वारा विद्यालय को स्थाई मान्यता दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार इस कार्यालय मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक मेरठ प्रथम मण्डल मेरठ के पत्रांक मान्यता / 3141–45 / 2004–05 दिनांक 09–11–2004 द्वारा विद्यालय को कक्षा–06 से कक्षा–08 तक हिन्दी माध्यम की अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी थी।

विद्यालय द्वारा मान्यता आदेश में दी गयी शर्तो को पूरा करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद की संस्तुति दिनांक 22–07–2025 के आधार पर तथा विद्यालय के विरूद्ध कोई शिकायत न होने के कारण यह मान लिया गया है कि विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी हैं। विद्यालय को भविष्य में भी स्थाई मान्यता की शर्तों के मानकों को बनाये रखना होगा। अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(ओम प्रकाश यादव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

गाजियाबाद।

पृ0सं0–मान्यता / / 2025–26 तददिनांक

प्रतिलिपि–सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

गाजियाबाद।

Principal

H.S. Senior Secondary School

Pratap Vihar Khora Colony

Ghaziabad

Manager

Hari Singh Senior Secondary School

Pratap Vihar Khora Colony,

Ghaziabad